Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

कचहरी में प्रैक्टिस से शुरू हुआ कॅरियर, अब संभालेंगे केन्द्रीय मंत्रालय

सियासी सफर

विडंबनाओं से भरा रहा है अजय भट्ट का सियासी सफर

संवाददाता

हल्द्वानी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार किया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में अब उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक की जगह नैनीताल–ऊधमसिंहनगर से भाजपा सांसद अजय भट्ट को जगह दी गई है। हालांकि अभी उनका पोर्टफोलियो जाहिर नही हो सका है। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके अजय भट्ट 2019 में पहली बार पहली बार सांसद चुने गए। राजनीति में आने से पहले वह अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे। उनका परिवार वकालत से आज भी जुड़ा है। अजय भट्ट की पत्नी भी वकील ही हैं। वह हाईकोर्ट में उत्त्तराखंड में सरकार की वकील भी हैं। उनके चार बच्चों में से दो माता–पिता की वकालत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

अजय भट्ट का जीवन भी काफी संघर्षों भरा रहा है। कम उम्र में ही पिता के गुजर जाने से पढ़ाई तो बाधित हुई, जो बड़े भाई की छत्रछाया में पूरी हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से एलएलबी करने के बाद अजय भट्ट की मुश्किलें कम होनी शुरू हुईं। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अल्मोड़ा चले गए और कचहरी में वकालत शुरू कर दी। साल 1984 से लेकर 1996 तक उन्होंने वकालत की।

पहली बार लड़े नगर पालिका अध्यक्ष का चुनावः अजय भट्ट ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1989 में द्वाराहाट सीट से नगर पालिका अध्यक्ष का लड़ा था। उस समय किस्मत उन्हें दगा दे गई। अध्यक्ष पद पर अजय भट्ट और प्यारे लाल शाह को बराबर–बराबर मत मिले। जिसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ और अजय भट्ट चुनाव हार गए। 1996 में अजय भट्ट पूरी तरह राजनीति में आ गए। 1996 में अविभाजित उत्तर प्रदेश पहली बार रानीखेत से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। राज्य गठन के बाद 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में और फिर 2012 में भी वह विधायक बने।

2019 में पहली बार खुद भी जीते और पार्टी भी

अजय भट्ट की सियासी किस्मत को लेकर उत्तराखंड में एक चर्चा यह भी है कि जब वे चुनाव जीतते हैं तो उनकी पार्टी हार जाती है और जब वह हारते हैं तो पार्टी जीत जाती है। विधानसभा चुनाव में उनके साथ यह विडंबना काफी हद तक सही भी लगती है, लेकिन आम चुनाव में यह गलत साबित हुई। 2019 में पहली बार ऐस हुआ कि वह सांसद का चुनाव लड़े और केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के साथ खुद भी चुनाव जीते।

न्यूज डायरी

महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने किया प्रदर्शन

संवाददाता विकासनगर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्त्ध्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और हरिद्वार कुंभ में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट महा घोटाले के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी पछवा दून अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कार्यकर्त्ताओं ने पहाड़ी गली चौक पर पुतला दहन किया। कार्यकर्त्ध्ता तिलक भवन विकासनगर पर एकत्रित हुए वहां से मार्च करते हुए भाजपा सरकार के विरोध जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से पार्टी गली चौक तक पहुंचे। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने केंद्र व राज्य की सरकार को विफल बताते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है।

केंद्र और राज्य का कांग्रेस ने फूंका पुतला महंगाई व बेरोजगारी पर उठाए सवाल

संवाददाता बागेश्वर। जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा आदि पर प्रदेश और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बुधवार को एसबीआइ तिराहे पर सरकारों का पुतला फूंका और सांकेतिक धरना दिया। उधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरुड़, कपकोट ने भी पुतला फूंक कर विरोध जताया। पार्टी के जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एसबीआइ तिराहे पर एकत्र हुए। उन्होंने नारेबाजी के साथ सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कहा कि महंगाई पर लगाम नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी ढेर हैं।

रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ने 306.88 करोड़ रुपए का बोनस घोषित किया

संवाददाता देहरादून। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो रिलायंस केपिटल और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस (जापान) का जॉइंट वेंचर है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने पॉलिसीधारकों के लिए 306.88 करोड़ रुपए का बोनस घोषित किया है। यह बोनस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का प्रमाण है, जिसके तहत कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक साल के आखिर में टैक्स का भुगतान करने के बाद 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। घोषणा के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक पॉलिसी के सभी हिस्सेदारों को घोषित हुआ बोनस दिया जा चुका है। इस बारे में आशीष वोहरा (सीईओ, रिलायंस निपॉन लाइफ) ने कहा, 'हम हमारी निरंतरता को लेकर गौरवान्वित हैं, साल दर साल बढ़त, जो यह स्पष्ट दर्शाती है कि हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं का भरोसा हमारे साथ है।

हमे हिमाचल की तर्ज पर भू–कानून की जरूरत

संवाददाता देहरादून। भू–कानून मे बदलाव को लेकर जनसंगठनो के प्रतिनिधियो की बैठक मे वकताओं ने कहा कि उत्तराखंड में लागू इस कानून से कृषि भूमि तो खत्म हुई है। साथ ही जल जंगल को बचाने का संकट पैदा हो गया है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की अध्यक्ष सुशीला बलूनी, पीडी गुप्ता आदि ने कहा की अलग राज्य के लिए हमने इसलिए संघर्ष और शहादतें नही की जिससे ये भू माफियों की सैरगाह बन जाय। हमे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की जरूरत है। बैठक में प्रदीप कुकरेती दिनेश भण्डारी ने सरकार से मांग की है कि तुरन्त भू कानून में सुधार किया जाय अन्यथा आमजन सड़को पर आने को विवश होंगे। वकताओ ने कहा उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद वर्तमान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत शासनकाल में भू–कानून में जो बदलाव कर पूरी दुनिया के लिए प्रदेश में विशेषकर पहाड़ो पर भूमि खरीदने की जो छुट प्रदान की उससे आमजन में रोष व्याप्त है। निशचय किया गया शीघ्र ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा जायेगा।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने किया सदबुद्धि यज्ञ

संवाददाता विकासनगर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने विकासनगर में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के बुद्धि शोधन कर यज्ञ कर बिजली के बिलों की आहुति दी। बुधवार को पार्टी नेता डिंपल सिंह व अनंतराम चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्त्ताओं ने अधिकारियों के रवैए पर नाराजगी जताई। आप नेत्री डिम्पल सिंह ने बताया कि प्रदेश में बिजली के दामों में लगातार बढोत्तरी हो रही है, विभाग बेलगाम हो चुका है। लगातार मनमाने ढंग से बिजली के दामो को बढ़ा रहा है और प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनी बैठी हुई है। विभाग को सदबुद्धि प्राप्त हो इसलिए बुधिशोधन यज्ञ किया और इस यज्ञ की पावन अग्नि में बढ़े हुए बिजली के बिलों आहुति दी। उन्होंने बताया कि यह यज्ञ विभाग के खिलाफ लड़ाई का आगाज है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।

संख्या–388/ल.सिं./निविदा/2020–21 **अल्पकालीन निविदा** दिनांकः 28 जून 2021

अधोहस्ताक्षरी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से निम्न कार्यों की सील बन्द निविदायें दिनांक 13.07.2021 को विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अपराहन 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 3.00 बजे अपरहान लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 09.07.2021 से दिनांक 12.07.2021 को सांय 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय देहरादून से बिक्री की जायेगी। सन्दर्भित कार्यों की विस्तृत जानकारी एवं विभागीय शर्तें आदि किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत 3% धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी.एस.टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा की वैधता (माह में)	पंजीकरण श्रेणी
1.	वार्ड सं. 8 सालावाला में मुख्य मार्ग श्री टी.आर. चावला आदि के घर तक सड़क निर्माण।	65000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
2.	वार्ड सं.–06 धौरणखास, चन्दन विहार कण्डोली में श्री विशाल चौहान के घर के पास सड़क एवं नाली निर्माण।	74000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
3.	आर्यनगर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	75000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
4.	चीडोवाली (कन्डोली) में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	75000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
5.	राजपुर में मुख्य मार्ग से श्री जुयाल जी के घर तक सी.सी.सी. सड़क निर्माण ।	43000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
6.	मिट्टीबेड़ी में प्राथमिक विद्यालय के पास सामुदायिक केन्द्र निर्माण कार्य।	61000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
7.	वार्ड संख्या–09 आर्यनगर में मुख्य मार्ग से पिपलेश्वर शिव मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य।	32000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर

निविदा की शर्तें:–

1. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ कार्य की अनुमानित लागत का 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र , डाकघर सावधि जमा पासबुक तथा किसी भी बैंक द्वारा निर्गत एफ.डी.आर., सी.डी.आर. के रूप में अधिषासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के नाम बंधक हो, स्वीकार की जायेगी।
2. निविदा के साथ रू. 100.00 का स्टाम्प पेपर पर रू. 1.00 की रसीदी टिकट हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
3. धरोहर धनराशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के शेष नियम निविदा प्रपत्र पर भी देखे जा सकते हैं।
5. बिना शील्ड /बन्द लिफाफे के प्राप्त निविदा प्रपत्रों व सषर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. लिफाफे पर कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
7. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक से मांगना चाहता है, तो वह निविदा प्रपत्र का मूल्य डाक व्यय सहित समय से भेजकर प्राप्त कर सकते हैं,विलम्ब से डाक प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदा में शेडयूल बी0 की मदवार कार्य की अंकित मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर 7 दिन के अन्दर धरोहर धनराषि समायोजित करते हुए पूरी 10 प्रतिशत जमानती धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी और 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बिना अनुबन्ध किसी भी परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा।
10. प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है,तो उसका उत्तरदायित्व द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है,तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा। आवष्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरांत ही ठेकेदार की जमानत की धनराषि वापस की जायेगी।
11. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी./रायल्टी एवं अन्य की कटौती की जायेगी।
12. पंजीकृत ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय पंजीकरण प्रमाण–पत्र (लाईसेन्स) साथ लाना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स बिना दिखाये निविदा फार्म दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
13. निविदा की दरें ठेकेदार द्वारा मदवार देनी होगी। प्रतिशत में मान्य नहीं होगी। एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे हों और वे अनुबन्धक की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों अथवा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न रही हो, उसकी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–के पैरा 364 में दिये गये प्राविधानुसार निर्णय लिया जायेगा।
15. निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से 5 प्रतिषत से अधिक/कम होने पर **'शासनादेश संख्या 6447/iii(2)ii-.20(सा0)/11 दिनांक 02 जनवरी 2013** के अनुसार **परफारमेन्स सिक्योरिटी** विभाग को डिपोजिट जमा करनी होगी।
16. यदि शासन/उच्च स्तर से किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार के किये गये कार्य के लिये ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवषेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. निविदा प्रपत्र भरते समय आयकर पैन नम्बर/जी.एस.टी.एन. नम्बर/मोबाईल नम्बर आवष्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा।
18. Defect Liability Period के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1426/111(2)/11–20(सा0)/11 दिनांक 28 फरवरी 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदा लेने से पूर्व ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण अवष्य कर लें, अनुबन्ध करने के बाद कोई भी आपत्ति/क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्त करने या खोलने के दिवस को राजकीय अवकाष घोषित होता है, उस स्थिति में निविदा प्राप्त /खोलने की प्रक्रिया की तिथि अगले कार्य दिवस को की जायेगी।
21. बिल पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा बिल की धनराशि में जोड़कर किया जायेगा, जिसको जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।